# निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 6/2024
दायरा दिनांकः—12.3.2024
निर्णय दिनांकः— 16.4.25

## उनवान

1. गोपाल उर्फ रामगोपाल पुत्र राधेश्याम संरक्षक सरपरस्त माता
2. पिंकी पुत्री राधेश्याम
3. बद्रीबाई पत्नि राधेश्याम जातियान धाकड निवासीगण ग्राम बिंदाराडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः—16.4.25

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री कृष्ण गोपाल भार्गव— प्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,136 एल0आर0एक्ट0 विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण के खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 201 की खसरा नंबर 326/1 रकबा 2.0234 हेक्टेयर भूमि वाके ग्राम कड़ैयानोहर तहसील छबड़ा में स्थित है। जिसमें प्रार्थीगण का हिस्सा प्रत्येक 1/3 दर्ज जमाबंदी चला आ रहा है। उक्त खाते की जमाबंदी में प्रार्थी कम 1 के नाम के आगे नाबालिग लिखा हुआ है। जबकि प्रार्थी कम 1 की आयु 37 साल हो चुकी है और प्रार्थी पूर्णतया बालिग हो चुका है। उक्त खाते में प्रार्थी का नाम गोपाल पुत्र राधेश्याम लिखा हुआ है। जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम रामगोपाल पुत्र श्यामलाल है। जो ग्राम कडैयानोहर में ही प्रार्थी के खाते की अन्य भूमियों में, जिनमें खाता संख्या 59 की खसरा नंबर 9 एवं खाता संख्या 60 की खसरा नंबर 21 की जमाबंदी एवं प्रार्थी कम 1 का आधारकार्ड, राशनकार्ड एवं बीमा पोलिसी में भी प्रार्थी कम 1 का नाम रामगोपाल पुत्र श्यामलाल लिखा हुआ है। उक्त खाते में वर्णित अन्य दोनों प्रार्थी कम 2 व 3 के पिता व पति के नाम में भी राधेश्याम लिखा हुआ है। जबकि राधेश्याम का वास्तविक नाम श्यामलाल है। प्रार्थी कम 2 व 3 के आधार कार्ड, राशनकार्ड एवं वोटर कार्ड तथा ग्राम खेड़ला में प्रार्थीया कम 3 के खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 90 की खसरा नंबर 198 की जमाबंदी से भी स्पष्ट है। प्रार्थी कम 1 अपने खाते की भूमि खाता संख्या

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

की खसरा नंबर 326/1 की जमाबंदी में से नाबालिग शब्द को हटवाक गोपाल के स्थान पर रामगोपाल एवं पिता के नाम पर राधेश्याम के स्थान पर श्यामलाल दर्ज करवाना चाहता हूं। जो कि अन्य दस्तावेज में अंकित है। इस प्रकार प्रार्थी कम 2 पिंकीबाई अपने खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नंबर 201 की खसरा नंबर 326/1 की जमाबंदी एवं रेवेन्यू रिकार्ड में राधेश्याम के स्थान पर श्यामलाल दर्ज करवाना चाहती है। जो कि अन्य दस्तावेज में वर्णित है। इस प्रकार प्रार्थी कम 3 बद्रीबाई अपने खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 201 की खसरा नंबर 326/1 की जमावंदी एवं रेवेन्यू रिकार्ड में राधेश्याम के स्थान प पति का नाम श्यामलाल दर्ज करवाना चाहती है। उक्त शुद्धिकरण के अभाव में प्रार्थीगण को आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए न्यायहित में प्रार्थीगण के नाम का शुद्धिकरण आवश्यक है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। पैरोकार सरकार से रिपोर्ट प्राप्त। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयानोहर सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 201 नकल जमाबन्दी ग्राम खेडला सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 90 नकल जमाबन्दी बिन्दाराडी सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 59 नकल जमाबन्दी ग्राम बिन्दाराडा सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 60 बीमा पॉलसी आधार कार्ड पिंकी बाई मतदाता पहचान पत्र पिंकी बाई आधार कार्ड रामगोपाल आधार कार्ड बद्री बाई परिवार राशन कार्ड पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम कडैयानोहर तहसील छबडा में स्थित है। जिसमें प्रार्थीगण का हिस्सा प्रत्येक का 1/3 दर्ज है उक्त विवादित आराजी के खाते में प्रार्थी क्रम 1 के आगे नाबालिंग लिखा हुआ है जबकि प्रार्थी की आयु 37 साल हो चुकी है प्रार्थी पूर्णतया बालिग है खाते में प्रार्थी का नाम गोपाल पुत्र राधेश्याम लिखा हुआ है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम रामगोपाल पुत्र श्यामलाल है कडैयानोहर के खाते की भूमि के अलावा अन्य गांव के खातों की भूमि में एवं आधार कार्ड राशन कार्ड एवं बीमा पोलसी में भी प्रार्थी का नाम रामगोपाल पुत्र श्यामलाल लिखा हुआ है प्रार्थी क्रम 2 व 3 के पिता व पति के नाम भी राधेश्याम लिखा हुआ है जबकि वास्तविक नाम श्यामलाल है प्रार्थी अपने खाते से नाबालिग हटावकर गोपाल के स्थान पर रामगोपाल एवं पिता का नाम राधेश्याम के स्थान पर श्यामलाल दर्ज करवाना चाहता है प्रार्थी का सही नाम व पिता का सही नाम अन्य जमाबन्दीयों एवं रिकार्ड से पुष्टि होती है।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार से रिपोर्ट ली गई तहसीलदार ने बताया कि ग्राम बिन्दाराडा में गोपाल उर्फ रामगोपाल पुत्र राधोश्याम उर्फ श्यामलाल पिंकी पुत्री राधेश्याम उर्फ श्यामलाल बद्री बाई पत्नि स्व0 राधेश्याम उर्फ रामगोपाल जाति धाकड निवासी बिन्दाराडा के नाम से सम्बन्धित जानकारी लेने गई मजमें आम में उपस्थित ग्राम वासियों से पूछा कि गोपाल का नाम रामगोपाल पिता का नाम राधेश्याम श्यामलाल है क्या तो मजमें आम में उपस्थित

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

ग्राम वासियों ने दोनो ही नाम एक ही व्यक्ति के बताया है गोपाल उर्फ रामगोपाल पुत्र राधेश्याम उर्फ श्यामलाल दोनो ही नाम से जाना या बोला जाता है व पिंकी के पिता राधेश्याम उर्फ श्यामलाल  के बारे में पुछा तो राधेश्याम उर्फ श्यामलाल दोनो ही नाम पिंकी के पिता के बताये व बद्री बाई के पति राधेश्याम उर्फ श्यामलाल के बारे में पुछा तो उपस्थित व्यक्तियों ने बताया कि राधेश्याम उर्फ श्यामलाल बद्री बाई के पति के अर्थात् दोनो ही नाम बद्री बाई के पति के बतायें। मौका पर्चा उपस्थित व्यक्तियों को पढकर सुनाया व साथ मौका पर्चा पर सह खातेदारों व उपस्थित ग्राम वासियों के हस्ताक्षर करवायें।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयानोहर सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 201 में नाबा गोपाल पुत्र राधेश्याम पिंकी पुत्री राधेश्याम बद्री बाई पत्नि स्व0 राधेश्याम दर्ज रिकार्ड है नकल जमाबन्दी ग्राम खेडला सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 90 में बद्री बाई पत्नि श्यामलाल दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम बिन्दाराडा सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 59 एवं 60 में रामगोपाल पुत्र श्यामलाल दर्ज रिकार्ड है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज में प्रार्थी का नाम रामगोपाल पुत्र श्यामलाल दर्ज है इससे यह साबित होता है कि प्रार्थी का नाम कडैयानोहर की जमाबन्दी में नाबा0 गोपाल दर्ज है तथा पिता का नाम राधेश्याम दर्ज रिकार्ड है अन्य ग्राम की जमाबन्दी व अन्य दस्तावेजात में रामगोपाल पुत्र श्यामलाल दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में गोपाल पुत्र राधेश्याम एवं रामगोपाल पुत्र श्यामलाल दर्ज है अर्थात् पुत्र गोपाल एवं रामगोपाल तथा पिता का नाम राधेश्याम एवं श्यामलाल दोनो अलग–अलग है प्रार्थी के दस्तावेजों से गोपाल/रामगोपाल का एक होना प्रतीत होता है परन्तु पिता के नाम राधेश्याम एवं श्यामलाल एक होना साबित नही होता है इसके लिए प्रार्थी को साक्ष्य/सबूतों के आधार पर साबित करना आवश्यक है धारा 136 एल0आर0एक्ट के तहत समरी ट्रायल के माध्यम से राजस्व रिकार्ड दुरूस्ती किया जा सकता है इस आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में गोपाल नाबालिग का नाम रामगोपाल दर्ज किये जाने तक आशिंक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

## :: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम कडैयानोहर छबडा तहसील छबडा के खसरा नम्बर 326/1 रकबा 2.0234 है0 में गोपाल के स्थान पर रामगोपाल व नाबा0 के स्थान पर बालिग दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दियें जातें है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा